सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 26, सोमवार, *शाके* 1944-जनवरी 16, 2023

Pausa 26, Monday , Saka 1944- January 16, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 04, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1

संख्या एफ.2(32)सानि/एएस/2022-23/डी-3357 :- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार चम्बल नदी कोटा/सवाईमाधोपुर पर किमी 20/500 से 23/148 खातौली कैथुदा दौलतपुरा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी स्वीकृति एसआरएफ एमडीआर योजना के तहत अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(83)/ **A&F/Sec-II/2020-21/D-55** दिनांक 3.5.2021 द्वारा राशि रू 165.06 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें हाई लेवल ब्रिज बनाये जाने है। एप्रोच रोड़ के लिऐ नदी के दोनों और भुमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.संख्या	जिला	तहसील	ग्राम
1	सवाईमाधोपुर	खण्डार	धर्मपुरी
2	सवाईमाधोपुर	खण्डार	सेवतीखुर्द

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज के दोनो और एप्रोच रोड़ के लिए नदी के दोनो और भुमि अवाप्ति ग्राम धर्मपुरी एवं सेवतीखुर्द का चयन किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू -अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भुमि अर्जन , पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में संबंधित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियो के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया प्रभावित गांवो में संबंधित पंचायत के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
श्री मुकेश चन्द मीना
मो. 9414256305

अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते

भाग-1(ख)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(वृत्त कोटा)

अधिसूचना

कोटा, जनवरी 04, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या एफ.2(32)सानि/एएस/2022-23/डी- :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार चम्बल नदी कोटा/सवाईमाधोपुर पर किमी 20/500 से 23/148 खातौली कैथुदा दौलतपुरा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी स्वीकृति एसआरएफ एमडीआर योजना के तहत अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(83)/ **A&F/Sec-II/2020-21/D-55** दिनांक 3.5.2021 द्वारा राशि रू 165.06 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें हाई लेवल ब्रिज बनाये जाने है। एप्रोच रोड़ के लिऐ नदी के दोनों और भुमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं. संख्या	जिला	तहसील	ग्राम
1	कोटा	पीपल्दा	कैथुदा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज के दोनो और एप्रोच रोड़ के लिए नदी के दोनो और भुमि अवाप्ति ग्राम कैथुदा का चयन किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू -अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भुमि अर्जन , पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में संबंधित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियो के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया प्रभावित गांवो में संबंधित पंचायत के परामर्ष से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
श्री मुकेश चन्द मीना
मो. 9414256305
अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।